UPMP010026052026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02022**

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं० 892/2026</u>

मोहित पुत्र राम नरेश, निवासी ग्राम जुन्हैया सलेमपुर, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी।

–––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –––विपक्षी/वादी

<u>आदेश</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्त मोहित **की ओर से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 219/2026 अन्तर्गत धारा–119(2),115(2),351(2), 352 बी.एन.एस. थाना–कुरावली** जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी /अभियुक्त की प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थना–पत्र न तो न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि,''दिनांक 02.06.2026 को सुबह आठ बजे मेरे पुत्र रोहित को मेरे छोटे बेटे मोहित व उसकी पत्नी कुसुमलता ने मारपीट की। मेरे पुत्र रोहित के सर पर टकोरे से वार किया, जिससे रोहित के सर पर गम्भीर चोट आई व शरीर पर चोटों के निशान आये। मोहित ने कहा कि अगर थाने गये तो जान से मार दूंगा व गन्दी–गन्दी गालियाँ दी। मेरा बड़ा पुत्र गम्भीर हालत में है।रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि,''प्रार्थी का तथाकथित अपराध से कोई सरोकार वास्ता नहीं है। प्रार्थी पूर्णत: निर्दोष है तथा उपरोक्त अपराध प्रार्थी द्वारा कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन फंसाया गया है। तथाकथित घटना सुबह 08:00 बजे की बतायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 7 घण्टे देरी से दर्ज करायी गयी है, जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 7 कि०मी० है, जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है कि किस कारण से मारपीट हुई है जिससे भी घटना संदिग्ध हो जाती है। तथाकथित घटना को न तो किसी के द्वारा देखा जाना और न ही किसी तरह की कोई चीख पुकार होना और न ही किसी के द्वारा कोई बीच–बचाव वाली बात प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शायी गयी है, जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी नहीं दर्शाया गया है कि टकोरा किसके द्वारा मारा गया है जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी दौरान मुकदमा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी को जमानत पर

रिहा किये जाने याचना की गयी है।''

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 02.06.2026 को वादिनी मुकदमा के पुत्र रोहित के साथ मार–पीट की तथा सिर पर टकोरे से वार किया, जिससे उसके गम्भीर चोट आई व शरीर पर चोटों के निशान आये,गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी दी। प्राथमिकी में अभियुक्त नामजद है। पक्षकारों के मध्य मकान को लेकर विवाद होना गवाहों के बयान में आया है। दौरान विवेचना धारा 119(2)BNS की बढ़ौत्तरी की गई है। चिकित्सकीय आख्या में वादिनी मुकदमा के पुत्र के सिर में 4 चोटें आना उल्लखित किया गया है,जिनकी प्रकृति साधारण है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 03–06–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।वाद के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त न करते हुए,अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अभियुक्त **मोहित** द्वारा योजित जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

1– अभियुक्त द्वारा मुव. 50,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के, दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनाँकः20–06–2026

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

अनिल कुमार अग्रवाल,
पी.ए

RUPESH RANJAN
Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.20 15:04:47 +0530